संख्या: 8/2020/1003 /46-2-20-302(2)/2020

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 जुलाई, 2020

विषय- उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिल मोहिउद्दीनपुर के गन्ना किसानों को पेराई सत्र 2019-20 में समय से गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए शासकीय गारण्टी रू.110/- करोड़ को रू.150/- करोड़ विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: एस.एस.सी./परियोजना-सीसीएल/मोहिउद्दीनपुर/131, दिनांक 09.07.2020, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिल मोहिउद्दीनपुर के गन्ना किसानों को पेराई सत्र 2019-20 में समय से गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए शासकीय गारण्टी रू.110/- करोड़ को रू.150/- करोड़ विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या: 945/46-2-20-302(2)/2020, दिनांक 30.06.2020 में इंगित इण्डियन बैंक, 2/31, विजय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के स्थान पर इण्डियन बैंक, 2/139, विजय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ -226010 किये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिल मोहिउद्दीनपुर के गन्ना किसानों को पेराई सत्र 2019-20 में समय से गन्ना मूल्य भुगतान हेतु इण्डियन बैंक, 2/139, विजय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010 से 9.20 प्रतिशत ब्याज दर पर रू.110/- करोड़ को रू.150/- करोड़ (रूपए एक अरब पचास करोड़ मात्र) विस्तारित करने हेतु शासकीय गारण्टी प्रदान की जाती है। चीनी निगम/मिल द्वारा उक्त शासकीय गारण्टी पर नियमानुसार गारण्टी शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या: 945/46-2-20-302(2) /2020 दिनांक 30.06.2020 को निरस्त माना जाएगा।

भवदीय,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 8/2020/1003 (1)/46-2-20-तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान प्रबन्धक (वित्त), उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इण्डियन बैंक, 2/139, विजय खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-226010 द्वारा स्वीकृत की जाने वाली नकद साख सीमा पर शासकीय गारण्टी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने के साथ-साथ शासकीय गारण्टी एवं काउन्टर गारण्टी के प्रारूप विधीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कराते हुए उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
4. वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।